

खान और भूविज्ञान के सहायक निदेशक

बनाम

मेसर्स डैक्कन सीमेंट्स लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील सं. 5481/2002)

25 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.)

खनिज (वैधीकरण) अधिनियम, 1992 पर उपकर और अन्य करः
खनिज-उपकर और अन्य करों पर-शुल्क और संग्रह-इस निष्कर्ष की शुद्धता
कि "शुल्क की अनुमति थी"लेकिन जो राशि पहले से एकत्र नहीं की गई है,
उसे जिला खनन में उच्चतम न्यायालय द्वारा एकत्र नहीं किया जा सकता
है। अधिकारी का मामला

* बड़ी पीठ को संदर्भित।

* जिला खनन अधिकारी और अन्य। बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
और ए. एन. आर. 2001 (7) एस. सी. सी. 358-संदर्भित।

सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्न बनाम उत्तर प्रदेश
राज्य और अन्य 2001 (5) एस. सी. सी. 519-उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5481/2002

सी. ए. 6494/1992 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 12.9.2001 से।

के साथ

सी. ए. सं. 5483, 5484, 5487 2002 का एस. एल. पी. (सी) सं. 10887 10888, 10889-10891, 10892-10894/2002 और 10895-10896/2002.

अनूप जी. चौधरी, एम. एन. राव, नागेंद्र राय, जून चौधरी, टी. वी. रत्नम, मनोज सक्सेना, रजनीश के. सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, राहुल शुक्ला, बडी ए. रंगनाथन, ए. रमेश, ए. वी. रंगम, एस. उदय कुमार। सागर, बीना माधवन, एम/एस लॉयर्स निट एंड कंपनी, अजय शर्मा, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, बी. पार्थ सारथी, मोहनप्रसाद मेहरिया उपस्थित पक्षों की ओर से।

न्यायालय का आदेश डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इनकी सुनवाई के दौरान जिला खनन में इस न्यायालय के एक निर्णय पर सी. ए. सं.5481/2002 में प्रत्यर्थियों द्वारा अपील निर्भरता रखी गई थी। उक्त अपील में अपीलार्थी ने सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड और ए. एन. आर. पर निर्भरता रखी।

2. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में यह अभिनिर्धारित करने के लिए जिला खनन अधिकारी के मामले (ऊपर) पर भरोसा किया कि हालांकि शुल्क 4.4.1991 अनुमेय था, उपकर का कोई संग्रह नहीं किया जा सकता था।

3. जिला खनन अधिकारी के मामले (ऊपर) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निम्नानुसार देखा गया था:

"हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में काफी बल पाते हैं, क्योंकि हमारे विचार में, वैधीकरण अधिनियम को हमने पहले ही जो व्याख्या दी है, वह वास्तविक इरादा था। संसद और इसका कभी भी उपकर के संग्रह का अधिकार प्रदान करने का इरादा नहीं था। निष्कर्ष के साथ सहमति में आया पटना उच्च न्यायालय द्वारा, हम वैधीकरण अधिनियम को वैध मानते हैं, लेकिन ऐसे वैधीकृत अधिनियम किसी को भी अधिकृत नहीं करते हैं। उपार्जित देनदारियों के संबंध में नया शुल्क या संग्रह 4.4.1991 से पहले, हालांकि यह संग्रह की वापसी को प्रतिबंधित करता है पहले से ही उस तारीख से पहले किया गया था।"

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले की वैधता उपकर और अन्य करों पर उपकर और अन्य करों के तहत खनिज (वैधीकरण) अधिनियम, 1992 (इसके बाद 'वैधीकरण अधिनियम' के रूप में संदर्भित)

विचाराधीन था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वैधीकरण अधिनियम किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है। होने के नाते इस प्रकार देखे जाने पर, संग्रह के लिए अपरिहार्यता के बारे में उपरोक्त निष्कर्ष निकाले गए जो पहले से नहीं किए गए थे। सोमैया ऑर्गेनिक्स (भारत) का मामला (रूपर) अवधारणा "लेवी" और "संग्रह" के बीच का अंतर निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों में नोट किया गया था

"29. दोनों पैराग्राफ 89 और 90 को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने घोषणा पर विचार किया प्रावधान संभावित रूप से अवैध होने का केवल यह अर्थ है कि यदि राज्य पहले ही कर एकत्र कर चुके होते तो वे उसे वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ये वे राज्य हैं जो घोषणा के परिणामस्वरूप अन्यथा के लिए संरक्षित यह निष्कर्ष कि विवादित अधिनियमों में विधायी का अभाव था कानून का उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 265 के विपरीत। जिसमें उसी समय, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि राज्य थे लेवी को आगे लागू करने से रोक दिया गया। शब्द हैं। अनुच्छेद 265 में "लेवी" और "संग्रह" का उपयोग किया गया है। कराधान कानून में "लेवी" और "संग्रह" शब्द समानार्थी शब्द नहीं हैं। (सी. सी. ई. वी. को देखें। नेशनल टोबैको कंपनी ऑफ

इंडिया लिमिटेड (1972) (2) एस. सी. सी. 560) पी. 572), जबकि "लेवी" का अर्थ होगा कर का निर्धारण या प्रभार या अधिरोपण, अनुच्छेद 265 में "संग्रह" का अर्थ होगा उस कर की भौतिक प्राप्ति, जो लगाया या लगाया जाता है। कर का संग्रह आम तौर पर उसी के उद्ग्रहण के बाद का एक चरण होता है। का प्रवर्तन लेवी का मतलब केवल लगाए गए कर की प्राप्ति हो सकती है या माँग की। कि राज्यों को रोका गया था कर की वसूली, यदि पहले से ही प्राप्त नहीं की गई है, निर्णय से। उक्त पैरा से पता चलता है कि तारीख के अनुसार 1-3-1986 के बाद की अवधि के लिए निर्णय केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की मांग पर शराब का उत्पादन 4 करोड़ रुपये से अधिक था। अदालत ने इसके दिनांकित 1-10-1986 और 16-10-1986 आदेशों को संदर्भित किया गया जिसके द्वारा राज्य सरकार को संग्रह करने की अनुमति दी गई थी कंपनी में निर्मित शराब पर शुल्क आसवनशालाएँ। 4 करोड़ रुपये की उक्त राशि के संबंध में, यह देखा गया कि "इसलिए, यह घोषित करना आवश्यक है कि भविष्य में खनन और भूविज्ञान के सहायक निदेशक के संबंध में आगे कोई बोध नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं से।"

इसका निहितार्थ स्पष्ट रूप से यह था कि यदि 4 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने शेष राशि पर कुछ शुल्क एकत्र किया 25-10-1989 के बाद बकाया राशि एकत्र नहीं की जा सकती है।

5. जिला खनन अधिकारी के मामले (ऊपर) में यह प्रतीत होता है अदालत का विचार था कि लेवी को मान्य किया जा सकता है और वह संग्रह को अधिकृत नहीं करता था। यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ कर या उपकर लगाने के मामले में अलग-अलग चरण हैं। पहला मामला कर या उपकर लगाने की शक्ति का स्रोत है। हो सकता है। दूसरा एक निर्णय द्वारा वास्तविक लेवी है या मूल्यांकन आदेश। कभी-कभी, देय राशि का परिमाणीकरण निर्णय/मूल्यांकन आदेश में किया जाता है। अंत में, संग्रह का सवाल आता है। कि ऐसा होने के नाते, संग्रह एक है शुल्क का प्राकृतिक परिणाम। यह अकल्पनीय है कि शुल्क वैध है लेकिन संग्रह को अस्वीकार्य माना जा सकता है। यह एक असहनीय स्थिति।

6. इसलिए, हमें इस दृष्टिकोण से सहमत होना मुश्किल लगता है।

जिला खनन अधिकारी के मामले (ऊपर) में व्यक्त किया गया ऊपर उद्धृत भाग में संग्रह की अपरिहार्यता।

7. इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी ने करों का भुगतान किया है और दूसरे शब्दों में, लगाई गई राशि का संग्रह किया गया है। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति जिसने

शायद इसका भुगतान नहीं किया हो। अंतिम व्यक्ति पहले वाले की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।

8. इसलिए, हम परीक्षण के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजते हैं इस निष्कर्ष की शुद्धता कि शुल्क की अनुमति थी वैधीकरण अधिनियम द्वारा, लेकिन जो राशि पहले से एकत्र नहीं की गई है, उसे एकत्र नहीं किया जा सकता है। अभिलेखों को उपयुक्तता के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है। दिशा निर्देश।

9. तदनुसार आदेश दिया।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गंभीर सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।